न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 25 / प्रा.पत्र / 2023 (GCMS No. 2023 / 43)	23.01.2023	15.05.2024

केनरा बैंक,
शाखा कार्यालय, सीन्ता (जिला बून्दी)
(जरिये प्राधिकृत अधिकारी)

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

श्री हरिशंकर आ. गणेश लाल जाति बैरवा,
निवासी खसरा नं. 1087, पट्टा नं. 18050, ग्राम देहित,
तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राजस्थान)

– अप्रार्थी (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल एडवोकेट।
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि केनरा बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय 112 नागारथ–पेटे जे.सी.रोड, बेंगलूरू में स्थित है, एक शाखा कार्यालय सीन्ता, जिला बून्दी में स्थित है, जो कि एक निगमित निकाय है, से अप्रार्थी ने दिनांक 10.10.2018 को खाता संख्या 83519830000013 में कुल

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

रूपये 3,00,000/– का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री हरिशंकर बैरवा पुत्र गणेशलाल बैरवा की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन खसरा नं. 1087, पट्टा नं. 18050 ग्राम देहित, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 695 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 28.02.2022 को अक्रियान्विति आस्ति NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थी के खाते में 2,75,720.06/– बकाया रकम दिनांक 03.04.2021 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.04.2022 को नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी/ बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया गया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत बैंक द्वारा अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की हैं। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा–14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः ऋणी की उपरोक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाता NPA किया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अंकित किया हैं। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था केनरा बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी/बंधककर्ता की बंधक सम्पत्ति श्री हरिशंकर बैरवा पुत्र गणेशलाल बैरवा की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन खसरा नं. 1087, पट्टा नं. 18050 ग्राम देहित, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 695 वर्गफीट है, (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार है, पूर्व में– श्री रामकरण आ. नन्दलाल बैरवा का मकान, पश्चिम में–आम रास्ते के बाद सती माता का मंदिर, उत्तर में– श्रीमती सीताराम पत्नी श्री गोपाल बैरवा का मकान, दक्षिण में–श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री गोपाल बैरवा का मकान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्ब कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज)